# समाहरणालय, अररिया

## (जिला निर्वाचन प्रशाखा)

## अल्पकालिन निविदा सूचना

Electoral Roll Management System (**ERMS**) पोर्टल पर फोटोयुक्त मतदाता सूची का **पुनरीक्षण/संक्षिप्त** पुनरीक्षण एवं सतत् अद्यतीकरण प्रक्रिया के अधीन वित्तीय वर्ष- 2015-16 के लिए अररिया जिला अन्तर्गत सभी छः विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता सूची का परिवर्धण, विलोपन एव संशोधन से सम्बंधित प्रपत्रों का डाटा, इन्ट्री, इमेज का स्केनिंग एवं क्रॉपिंग, पी0डी0एफ0 का निर्माण एवं ईपिक निर्माण कार्य दिनांक 28.04.2015 को 3.00 बजे अपराह्ण तक द्विलिफाफा पद्धति निविदा आमंत्रित किया जाता है। दिनांक 28.04.2015 को 4.00 बजे अपराह्ण में ही क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी। बैठक में निविदा दाता एवं उनके प्रतिनिधि भी भाग ले सकतें है। निविदा की तकनिकी एवं वित्तीय शर्तो से संबंधित विस्तृत सूचना एवं निविदा प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय अररिया से 500/- (पांच सौ) रूपये नगद भुगतान पर कार्यदिवस के कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्यालय से प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र में ही निविदा देना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य हो जाएगा। द्विलिफाफा पद्धति के अनुसार अलग-अलग मोहरबंद लिफाफा में निर्धारित तिथि के अंदर निविदा पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय, अररिया में कार्यालय अवधि में जमा किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र क्रय की जाने वाली राशि वापस नहीं होगा। निविदा दाता को पृथक-पृथक लिफाफे में तकनिकी एवं वित्तीय निविदा समर्पित करना होगा। सर्वप्रथम तकनिकी निविदा खोला जाएगा। तकनिकी निविदा में सक्षम पाये जाने वाले निविदा दाता का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा। निविदा जिला निर्वाचन पदाधिकारी, -सह- जिलाधिकारी, अररिया के पद नाम से देय होगा। विस्तृत जानकारी प्रत्येक कार्य दिवस में जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

---

### तकनिकी निविदा की शर्ते

1. निविदादाता फर्म को बिहार वाणिज्यकर (**VAT**), आयकर (**PAN NUMBER**), एवं सेवा कर अंतर्गत कम से कम दो वर्षो से बिहार राज्य में निर्वधित होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा एवं अद्यतन Audit & Balance sheet के साथ कम से कम पिछले दो वर्षो का औसतन Turn Over 10000000/- (एक करोड़) रूपये का **Audit Report** संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. Form को बिहार SSI एवं Bihar shop and Establishment Act के अंतर्गत निबंधित होना अनिवार्य है। तथा उससे संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता यदि **Limited/Private Limited Company** है तो उसे **Company Act 1956** के अंतर्गत निर्वधित होना चाहिए तथा भारत सरकार कम्पनी कार्य मंत्रालय का निदेशक पहचान संख्या (**Directior Identification Number) Act 2006** के तहत भी निर्वधित होना चाहिए। अगर निविदादाता **Propritorship/Patnership** फर्म है, तो जिला उद्योग केन्द्र एवं Shop & Establishment के तहत निर्वधित होना अनिवार्य है। निविदादाता का Consortium होना मान्य नहीं होगा।
4. निविदा की राशि मो0 25000/- (पचीस हजार) रूपेय का बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी, अररिया के पक्ष में देय हो जिसे सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।
5. फोटोयुक्त निर्वाचक सूची की तैयारी एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक) निर्माण का कार्य अन्योन्याश्रित (Interdependent) होने के कारण कार्यहित में दोनो कार्यो के लिए एक ही एजेन्सी का चयन किया जा सकता है। इस वर्ष से PVC Sheet पर रंगीन छाया चित्र से मतदाता फोटो पहचान पत्र का निमार्ण कराया जाएगा एवं मतदाता फोटोपहचान पत्र सामान्य शर्त के अंतर्गत निम्नांकित विशिष्टियाँ के तहत कराया जाएगा।
6. आवंटित कार्य की Sub-contracting किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इस आशय का Under taking तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा किसी भी समय Sub-

contracting किया जाता है तो कार्यादेश वापस लेते हुए एवं जमानत की राशि को जप्त करते हुए फर्म पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

7. मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण एवं अन्य सभी प्रकार के मुद्रण कार्य हेतु सिर्फ Original Cartridge का प्रयोग करने सम्बधी शपथ पत्र देना होगा।

8. फर्म द्वारा प्रयुक्त System में अनुज्ञप्ति (Licensed) Operating System Anti Virus Software होने सम्बंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

9. फर्म को जिला समाहरणालय, अररिया के परिसर या निर्वाचन कार्यालय द्वारा निदेशित परिसर में Link Centre स्थापित कर कार्य करना होगा तथा इसके लिए आवश्यक विधुत/जेनरेटर आदि की व्यवस्था स्वंय करनी होगी। बाहर कार्य करने की शर्त किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी। इस आशय का Under taking तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

10. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार राज्य की Electoral Roll Management व्यवस्था के ईपिक मॉड्युल के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयर को छोड़कर वेण्डर को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से ईपिक निर्माण की अनुमति नही दी जायेगी।

11. फोटोयुक्त मतदाता सूची निर्माण हेतु उपलब्ध संसाधनों की विवरणी तथा Latest Configuration कम्प्यूटर्स एवं लेजर प्रिंटर 2GB का होना चाहिए तथा Power Management सही होना चाहिए, जिससे कार्य में बाधा नहीं हो। Manpower की क्षमता अलग से देना होगा।

12. निविदादाता फर्म को निर्वाचन कार्यो का ERMS के तहत किये गये कार्य का अनुभव दो वर्षो का होना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

13. निविदादाता फॉर्म को ISO 9001:2008 का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

14. निविदादाता फॉर्म को EPFO एवं ECIS के अंतर्गत निबंधित होना अनिवार्य है, साथ ही इस कार्य हेतु सक्षम तकनिकी कर्मियों की उपलब्धता संबंधी पूर्ण विवरणी नाम/अनुभव के साथ देनी होगी।

## वित्तीय निविदा की शर्ते :-

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता फार्म का ही वित्तिय निविदा खोला जायगा। वित्तिय निविदा में सभी प्रकार के कार्यो का दर अलग-अलग अंकित करना होगा। तथा कार्य के सामने दर रू0/पैसा में अंक एवं शब्द में स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे।

2. वित्तिय निविदा में सभी प्रकार के कार्यो का दर सभी करों सहित जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्गत निर्धारित प्रपत्र में ही देना होगा।

3. सफलता पूर्वक कार्य करने के उपरान्त भूगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार करों की कटौती कर ली जायेगी।

4. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर प्रतिदिन विलम्ब के लिए 1000/-(एक हजार) रुपया की दर से सम्बंधित फर्म के विपत्र से कटौती की जायेगी तथा एक सप्ताह के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्यवाई करते हुए जमा जमानत की राशि जब्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाल दी जायेगी।

5. डाटा इण्ट्री से सम्बंधित कार्य समाप्ति के पश्चात् फर्म को दो प्रति में विधानसभा क्षेत्रवार PS-CD वायरस मुक्त देना होगा।

6. उपरोक्त शर्तो के अलावे समय-समय पर निर्वाचन विभाग, पटना या भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शर्तो/निर्देशों का पालन करना होगा। तथा बगैर कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

7. कार्यहित एवं समय सीमा को देखते हुए अनुमोदित दर पर कार्य वितरण एक से अधिक निविदा दाताओं के बीच करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

8. अपूर्ण एवं विना हस्ताक्षर किया हुआ वित्तीय निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।

## समान्य शर्ते :-

1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नव निर्धारित स्वरूप एवं विशिष्टियों के अनुरूप ही मतदाता पहचान पत्रों का निर्माण करना होगा। जिसके स्वरूप की जानकारी जिला निर्वाचन प्रशाखा, अररिया से प्राप्त की जा सकती है क्योंकि वर्त्तमान में मतदाता पहचान-पत्र का स्वरूप (Format) परिवर्तित कर दिया गया है।

2. मतदाता फोटो पहचान पत्र की निम्नांकित विशिष्टियाँ होगी।
   (a) Card Type – All New Cards Will Be Printed On PVC Sheet with Color Photograph.
   (b) Card Size- 8.6 C.M. Vertical And 5.4 Horizontal
   (c) Thickness -0.6 M.M To 0.8 M.M
   (d) Lamination -60 Microns Over lay.

3. मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्वाचक डाटाबेस में संधारित डिजिटल छायाचित्रों (JPEG फॉरमेट में)के माध्यम से मात्र ऑन लाईन ही निर्मित किये जायेंगे तथा इसके निर्माण में बारकोड का भी प्रयोग किया जायेगा।

4. मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्माण हेतु छायाचित्रों का आकार एवं विशिष्टियों संक्षेप में निम्नवत होगी।
   (a)Size of photograph -3.2 C.M. (Vertical) x 2.4 C.M. (Horizontal)
   (b) Resolution -320 X 240 Pixels
   (c) High quality Photographs in colour and in portrait mode which shall show a close up of the applicant's head the top of the shoulders. The Face shall take 75% of the Vertical dimension of the picture.

5. परिवर्द्धन, संशोधन अथवा स्थानन्तरण सबंधी आदेश पारित होने के 15 दिनों के अन्दर ईपिक का निर्माण कर निर्गत किया जाना अनिवार्य होगा।

6. निविदा प्रपत्र प्रत्येक कार्य दिवस कों कार्यावधि में जिला निर्वाचन नाजीर अररिया से पॉच सौ रूपये (500.00) नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता हैं। कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे ही निविदा जमा करनी होगी।

जिला निर्चान पदाधिकारी
-सह- जिलाधिकारी अररिया

ज्ञापांक 197 /जि0नि0, दिनांक 18-4-2015

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया जिला को सूचनार्थ एवं सूचनापठ पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, अररिया जिला को सूचनार्थ एवं सूचनापठ पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर जिला जन संपर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : डी0आई0ओ0, अररिया को सूचनार्थ निदेश है कि अररिया जिला के वेबसाईट पर निविदा अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त पूर्णियां प्रमंडल पूर्णियां को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18/4/15

जिला निर्चान पदाधिकारी
-सह- जिलाधिकारी अररिया